

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/86672/FTP/FATEHPUR/549/CFO

दिनांक: 20-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. MARYS SR SEC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **NEAR RTO OFFICE, G.T. ROAD, FATEHPUR** तहसील - **SADAR FATEHPUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ST MARYS SCHOOL	3	0	11.25 mt.

तथा प्लॉट एरिया **32379.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST. MARYS SR SEC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **23-06-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **THOMAS P JOSEPH, Mob- 8005304727** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-06-2023** से **22-06-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : शासनादेश संख्या-187/छ:-पू0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 दिनांक- 07-01-2022 में प्राविधानित अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गमन के निर्देशों एवं उपबन्धों के बिन्दु संख्या- 4 के प्रस्तर- (A): सामान्य- उपखण्ड- I. पहुंच मार्ग- न्यूनतम 06 मीटर अथवा इतना चौड़ा जिससे मोटर फायर इंजन आसानी से आ जा सकते हैं तथा (B): एन0बी0सी0 2016 में दी गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में संशोधन के अंतर्गत उपखण्ड- VI. सेटबैक- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सुझाव के अनुसार सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बंध में निर्णय संबंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा और भवन में उक्त शासनादेश के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाएं स्थापित हैं।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

UMESH GAUTAM

D702E3F4D63F4A4DAB2CB8C96FFB8A701EB41E42

23-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **23-06-2023**
स्थान : **FATEHPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.



Scanned with OKEN Scanner